

साइकिल सहायता योजना

I. योजना के प्रावधान :-

1. बोर्ड के द्वारा निबंधित 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयुवर्ग की महिला लाभुकों को ब्रांडेड कम्पनियों की उचित गुणवत्ता वाली साइकिल दी जायेगी।
2. निबंधित पुरुष लाभुक जो कि एक वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हों व उन्होंने अगले एक वर्ष का अंशदान जमा किया हो।
3. उन्होंने अन्य किसी योजना से साइकिल प्राप्त नहीं किया हो।

II. योजना के लिए पात्रता :-

1. राज्य के किसी भी जिले में लाभुक के रूप में पंजीकृत हो।
2. महिला लाभुकों द्वारा सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो।

III. साइकिल सहायता योजनान्तर्गत प्रमण्डलवार प्रगति विवरणी

क्रमांक	प्रमण्डल का नाम	निबंधित लाभुकों की संख्या (माह अप्रैल 2014 तक)	योजनान्तर्गत वर्षवार प्रगति विवरणी			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (अप्रैल 2014 तक)
1	उपश्रमायुक्त, राँची	48,425	292	1447	1927	-
2	उपश्रमायुक्त, जमशेदपुर	44,459	443	1653	7222	-
3	उपश्रमायुक्त, दुमका	35,650	-	963	1947	-
4	उपश्रमायुक्त, हजारीबाग	61,758	120	1792	7014	1000
5	उपश्रमायुक्त, बोकारो	38,496	46	771	2212	-
कुल योग		2,28,788	901	6626	20322	1000